विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा० सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-04 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
04(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को यूनीफाइड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का भी अधिकार मिलेगा?	दिनांक 01 अप्रैल,2005 से प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) लागू है। दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से पूर्व तक जिन कार्मिकों द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है उन्हें पुरानी पेंशन अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक-28 जून, 2024 व दिनांक 11 जुलाई, 2024 तथा कार्यालय ज्ञाप/स्पष्टीकरण दिनांक 22 अगस्त, 2024 एवं शासनादेश दिनांक 30 जुलाई, 2025 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनकी भर्ती/नियुक्ति का विज्ञापन/अधिसूचना प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से कवर किये जाने के संबंध में विकल्प चुनने की व्यवस्था की गयी है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण क्या है?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	दिनांक 01 अप्रैल,2005 से प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) लागू है।
(घ) क्या पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में मार्च, 2025 में शासन स्तर पर कोई बैठक भी की गयी है?	जी नहीं।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री।